

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग  
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 11(2)ग्रावि/नरेगा/मेजर माईनर पेनल्टी/2010 पार्ट-1। जयपुर, दिनांक 26 MAY 2016  
समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक  
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
राजस्थान ।

विषय :- राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 91 (क) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 एवं 17 तथा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत दण्डित कर्मचारियों की सूचना बाबत।

महोदय,

Urgent Matter

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रतिनियुक्त एवं संविदा पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद में नियोजित अधिकारी/कर्मचारियों को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 91 (क) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958 के नियम 16 एवं 17 तथा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की धारा 25 के अन्तर्गत दण्डित कर्मचारियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भिजवाये। यह सूचना पदवार भिजवानी है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रारम्भ से 31.03.2016 तक की सूचना भिजवाई जानी है।

संलग्न: - उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

  
(रोहित कुमार)  
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर एवं बाडमेर।
3. श्री रिकु छीपा को ई-मेल वास्ते।
4. रक्षित पत्रावली।



अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस

